



## पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ति4/ वि. व. 2026 के परिणाम

निवेशक बैठक

13 मई, 2026

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का प्रबंधन :-

- सुश्री परमिंदर चोपड़ा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- श्री राजेश कुमार अग्रवाल – निदेशक (वित्त)
- श्री वी. पकरीसामी – कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक)

## संचालक:

हम शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस बीच, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल फोन को साइलेंट अथवा वाइब्रेशन मोड पर रखें। धन्यवाद।

देवियो एवं सज्जनों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से हम सभी का इस निवेशक बैठक में हार्दिक स्वागत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित एवं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आज कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। पीएफसी सदैव अपने निवेशकों से जुड़े रहने तथा निवेशक समुदाय के साथ मजबूत एवं सकारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसी उद्देश्य से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि वर्तमान एवं संभावित निवेशकों के साथ पीएफसी के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा की जा सके।

अब मैं मंचासीन पीएफसी प्रबंधन का परिचय कराना चाहूंगा। मेरे तत्काल बाईं ओर उपस्थित हैं श्री राजेश कुमार अग्रवाल – निदेशक (वित्त), उनके साथ हैं श्रीमती परमिंदर चोपड़ा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तथा सबसे बाईं ओर उपस्थित हैं श्री वी. पकरीसामी – कार्यपालक निदेशक।

आज के वार्षिक निवेशक सम्मेलन का कार्यक्रम पीएफसी की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के संबोधन से प्रारंभ होगा, जिसके उपरांत सवाल-जवाब सत्र आयोजित किया जाएगा। अब मैं श्रीमती परमिंदर चोपड़ा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुरोध करता हूँ कि वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें।

## श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

सभी को शुभ संध्या एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। पीएफसी में हम अपने निवेशकों के निरंतर विश्वास को अत्यंत महत्व देते हैं। पीएफसी में हमारी निवेशक संवाद प्रणाली तीन "टी" — "टाइमलाइंस, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी" — पर आधारित है, और हम इसके प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। आज की यह निवेशक बैठक निवेशक समुदाय के साथ हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अपने संबोधन की शुरुआत से पूर्व, मैं हमारे नवनियुक्त निदेशक (वित्त), श्री राजेश अग्रवाल का परिचय कराना चाहूंगा। श्री राजेश को विद्युत एवं वित्त क्षेत्र में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने ट्रेजरी, बैंकिंग, कराधान, निधि जुटाने तथा कॉर्पोरेट लेखांकन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया है। पीएफसी की यात्रा के इस महत्वपूर्ण चरण में उनका हमारे साथ होना हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मेरे बाईं ओर श्री वी. पकरीसामी – कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक) उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे निदेशक (वाणिज्यिक) 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके स्थान पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और औपचारिक नियुक्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्हें भी विद्युत क्षेत्र एवं अवसंरचना वित्तपोषण में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है।

अब मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियों पर आती हूँ। वित्तीय वर्ष 2025-26 पीएफसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा। यह मजबूत प्रदर्शन, महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा वैश्विक अनिश्चितताओं का वर्ष था। इसके बावजूद पीएफसी स्थिर, सुदृढ़ एवं विकासोन्मुख बना रहा। यदि मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 को एक पंक्ति में वर्णित करना हो, तो मैं इसे "वह वर्ष, जब दृढ़ता ने परिणामों से मुलाकात की" कहूँगी।

इसी के साथ, मैं एक ऐतिहासिक कार्यनीति विकास — पीएफसी एवं आरईसी के पुनर्गठन — का उल्लेख करना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट में की गई थी। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2019 में अधिग्रहण के पश्चात पीएफसी पहले से ही आरईसी में 52.63%

हिस्सेदारी रखता है। हमारा मानना है कि यह एक निर्णायक कदम है, जो सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करेगा।

जैसे-जैसे भारत "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, विद्युत क्षेत्र एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभरकर सामने आएगा। एकीकृत संस्था बेहतर विस्तार, मजबूत पूंजी दक्षता, त्वरित निर्णय-प्रक्रिया, क्षेत्रीय पहुँच में वृद्धि तथा अधिक वित्तपोषण क्षमता सुनिश्चित करेगी। संयुक्त इकाई भारत के विद्युत क्षेत्र के लिए "सिंगल विंडो फाइनेंसिंग पार्टनर" के रूप में स्थापित होगी।

हमने इस प्रक्रिया पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। पीएफसी एवं आरईसी दोनों के निदेशक मंडलों ने पीएफसी एवं आरईसी के विलय के रूप में पुनर्गठन हेतु सिद्धांततः स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमने विधिक सलाहकार, लेन-देन सलाहकार, मर्चेन्ट बैंकर तथा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति भी कर दी है। सरकारी हिस्सेदारी के संदर्भ में, प्रस्तावित संयुक्त इकाई का "सरकारी कंपनी" का दर्जा बनाए रखने का उद्देश्य है तथा इसकी विस्तृत संरचना पर वर्तमान में विचार-विमर्श चल रहा है। इसके अतिरिक्त, हम मूल्यांकन तथा विलय योजना के प्रारूप पर भी कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि संयुक्त इकाई 1 अप्रैल 2027 तक अस्तित्व में आ जाए। तथापि, यह एमसीए, आरबीआई, एसईबीआई, मंत्रिमंडल की स्वीकृति तथा हमारे संगम अनुच्छेद के अनुसार आवश्यक राष्ट्रपति की स्वीकृति सहित विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के अधीन होगा।

इसके अतिरिक्त, व्यवसायिक एकीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो पीएफसी और आरईसी के बीच पहले से ही व्यापक सामंजस्य मौजूद है। दोनों कंपनियों का व्यवसाय मॉडल तथा विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नियामकीय ढाँचा काफी हद तक समान है। पिछले कुछ वर्षों में हमने ऋण वितरण, मूल्य निर्धारण, लेखांकन तथा परिचालन प्रक्रियाओं से संबंधित अनेक नीतियों में सामंजस्य स्थापित किया है। अतः इसकी आधारशिला पहले से ही मजबूत है। आगे भी, जैसे-जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हम निवेशकों को प्रमुख उपलब्धियों एवं प्रगति से अवगत कराते रहेंगे।

इसके साथ ही, मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के समेकित प्रदर्शन की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ साझा करना चाहूँगी। समेकित आधार पर हमारा ऋण पोर्टफोलियो लगभग ₹11.64 लाख करोड़ के साथ एनबीएफसी क्षेत्र में सबसे बड़ा है। समूह के रूप में, हम नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए हैं तथा लगभग ₹1.65 लाख करोड़ के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में से एक हमारे पास है। हमारा समेकित कर पश्चात लाभ ₹33,625 करोड़ के साथ एनबीएफसी क्षेत्र में सर्वाधिक है। साथ ही, हमारी परिसंपत्ति गुणवत्ता भी मजबूत बनी हुई है, जहाँ शुद्ध एनपीए लगभग 0.13% पर है। इस विशाल आकार, मजबूत बैलेंस शीट तथा क्षेत्रीय अनुभव के साथ हमारा विश्वास है कि पीएफसी एवं आरईसी का पुनर्गठन एक अत्यंत बड़े पैमाने तथा रणनीतिक महत्व वाली वित्तीय संस्था का निर्माण करेगा।

अब मैं पीएफसी के स्टैंडअलोन प्रदर्शन पर आती हूँ। मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमने ₹20,051 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से शुद्ध ब्याज आय में 13% की सकारात्मक वृद्धि तथा वर्ष के दौरान लगभग ₹1,800 करोड़ के प्रावधान प्रत्यावर्तन के कारण संभव हुई। इसके साथ ही, पीएफसी भारत में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली एनबीएफसी के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है।

इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों — दोनों पक्षों पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, पीएफसी ने अपने मजबूत पूंजी आधार के समर्थन से व्यवसायिक स्थिरता बनाए रखी। 31 मार्च 2026 तक, हमारी पूंजी सीआरएआर 23.44% तथा टियर-1 पूंजी 21.93% रही। ये स्तर हमें भविष्य की वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर एवं सहज स्थिति प्रदान करते हैं। हमारी नेटवर्थ ने भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ₹1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13% की वृद्धि दर्शाता है।

हमारे मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने हमें अपने शेयरधारकों को निरंतर बेहतर प्रतिफल प्रदान करने में भी सक्षम बनाया है। निदेशक मंडल ने ₹3.95 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जिसके साथ वित्तीय वर्ष

2025-26 के लिए कुल लाभांश ₹18.55 प्रति शेयर हो गया है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा।

अब मैं प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर आती हूँ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान यील्ड 9.96% रही। निधियों की लागत 7.50%, स्प्रेड 2.46% तथा शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.55% रहा। ये सभी हमारे अपेक्षित दायरे के भीतर हैं। आगे की ओर देखते हुए, इन संकेतकों की प्रवृत्ति को वर्तमान बाजार परिस्थितियों के संदर्भ में समझना आवश्यक है। व्यावसायिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी समय-समय पर अपनी ऋण दर रणनीति में निरंतर संतुलन एवं समायोजन करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत में निम्न ब्याज दर चक्र तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हमने व्यवसाय वृद्धि को समर्थन देने हेतु अपने ऋणों का मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धी दरों पर किया। परिणामस्वरूप, इसका प्रभाव वित्तीय वर्ष 2026-27 में हमारी यील्ड के आँकड़ों में परिलक्षित होगा। निधियों की लागत के संदर्भ में, यद्यपि हमें घरेलू ब्याज दरों में कमी का लाभ प्राप्त हुआ, तथापि विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता के कारण समग्र वित्तपोषण लागत पर कुछ दबाव बना रहा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवेश करते हुए, यील्ड में संभावित उतार-चढ़ाव तथा विदेशी मुद्रा बाजार की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, हमें आशा है कि हमारा स्प्रेड 2.40% से 2.50% के दायरे में रहेगा।

अब मैं परिसंपत्ति गुणवत्ता पर बात करना चाहूँगी। पूर्व में साझा किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप, हमने ₹3,001 करोड़ की सिन्नर थर्मल पावर परियोजना का सफलतापूर्वक समाधान एनसीएलटी मार्ग के अंतर्गत किया है। इसमें हमने मूलधन राशि का 42% वसूल किया है। इसके अतिरिक्त, इस परिसंपत्ति पर 80% प्रावधान पहले ही किया जा चुका था। अतः इस समाधान के परिणामस्वरूप तिमाही के दौरान लगभग ₹670 करोड़ का प्रावधान राइटबैक हुआ। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले साझा किया गया था, हमने ₹1,139 करोड़ के टीआरएन एनर्जी ऋण का भी समाधान किया है, जिसमें लगभग ₹160 करोड़ का प्रावधान प्रत्यावर्तन हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सिन्नर थर्मल एवं टीआरएन एनर्जी — दोनों के सफल समाधान से हमारी परिसंपत्ति गुणवत्ता और अधिक मजबूत हुई है। हमारा शुद्ध क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति अनुपात घटकर 0.15% के नए निम्न स्तर पर आ गया है, जबकि सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति अनुपात 1.09% रहा।

यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारी एनपीए बुक का 80% भाग उसके उच्चतम स्तर से समाधानित किया जा चुका है। इसके साथ ही, हमारी स्टेज-3 बुक अब ₹6,323 करोड़ पर आ गई है, जिसमें कुल 19 परियोजनाएँ शामिल हैं। इनमें से ₹5,469 करोड़ मूल्य की 10 परियोजनाओं का समाधान एनसीएलटी के अंतर्गत किया जा रहा है, जिनमें ₹2,603 करोड़ की 6 परियोजनाएँ परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। शेष ₹854 करोड़ की 9 परियोजनाओं का समाधान एनसीएलटी के बाहर किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख परियोजनाओं में से एक ₹522 करोड़ का शिगा एनर्जी ऋण है, जिसके लिए सह-ऋणदाता की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। मैं यह भी साझा करना चाहूँगी कि इन 19 परियोजनाओं में से ₹4,680 करोड़ मूल्य की 16 परियोजनाओं पर हम पहले ही 100% प्रावधान बना चुके हैं। साथ ही, समग्र आधार पर स्टेज-3 परिसंपत्तियों पर कवरेज लगभग 86% के स्वस्थ स्तर पर बना हुआ है।

यदि हम वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रावधानों की बात करें, तो हमने लगभग ₹1,800 करोड़ का प्रावधान प्रत्यावर्तन देखा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, इनमें से लगभग ₹800 करोड़ का प्रत्यावर्तन सिन्नर थर्मल एवं टीआरएन एनर्जी के समाधान के कारण हुआ। अन्य प्रमुख प्रावधान प्रत्यावर्तन लगभग ₹1,000 करोड़ का था। जनवरी 2026 में विद्युत वितरण संस्थाओं की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग जारी की गई। इस रिपोर्ट में 18 डिस्कॉम्स की रेटिंग में सुधार हुआ, जबकि 9 डिस्कॉम्स की रेटिंग में गिरावट दर्ज की गई। तदनुसार, डिस्कॉम्स की रेटिंग में सुधार के आधार पर, ईसीएल ढाँचे के अंतर्गत पीएफसी की डिस्कॉम बुक पर लगभग ₹1,000 करोड़ का प्रावधान प्रत्यावर्तन किया गया।

अब मैं ऋण परिसंपत्ति बुक पर बात करना चाहूँगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हमने ₹1,65,414 करोड़ का संवितरण किया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, चूँकि भारत अब स्थिर एवं डिस्पैचेबल हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर है, इसलिए प्रमुख संवितरण हाइब्रिड सौर एवं पवन परियोजनाओं में किए गए। वितरण क्षेत्र में ऋण वितरण मुख्यतः अल्पकालिक एवं मध्यमकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं से प्रेरित रहा। पारंपरिक उत्पादन

क्षेत्र में हमने विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में पुनर्वित्तपोषण के अवसरों का लाभ उठाया। इसके साथ ही, हमारी ऋण बुक लगभग ₹5.8 लाख करोड़ पर बंद हुई, जो वर्ष के दौरान 7% की वृद्धि को दर्शाती है।

जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी 2025 से आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती प्रारंभ की तथा रेपो दर में कुल 125 बीपीएस की कमी हुई, जिससे भारत निम्न ब्याज दर चक्र में प्रवेश कर गया। पीएफसी जैसी एनबीएफसी के लिए निम्न ब्याज दर चक्र में सामान्यतः पूर्वभुगतान का दबाव उत्पन्न होता है, जो कि एक स्वीकृत एवं ज्ञात जोखिम है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, “3आर” — “रियलस्टिक, रेसिलिएंट और रोबस्ट” ऋण संवृद्धि कार्यनीति के अंतर्गत हमने अपनी ऋण वृद्धि संबंधी मार्गदर्शिका साझा की थी। तथापि, घटती ब्याज दरों, बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक कार्यनीतियों तथा अपेक्षा से अधिक पूर्वभुगतान के कारण, विशेषकर कमीशन किए गए परिसंपत्ति खंड में, पूर्वभुगतान उस स्तर से अधिक रहा जिसकी हमने पूर्व में कल्पना की थी, क्योंकि बैंकों ने आक्रामक रूप से इन परिसंपत्तियों का पुनर्वित्तपोषण किया। यदि ये पूर्वभुगतान नहीं होते, तो हमारी ऋण परिसंपत्ति वृद्धि हमारी घोषित 10-11% की मार्गदर्शिका के अनुरूप रहती। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हमें आरबीआई द्वारा आगे किसी अतिरिक्त ब्याज दर कटौती की अपेक्षा नहीं है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि आरबीआई ने लगातार दूसरी बैठक में रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा है तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली एमपीसी बैठक में तटस्थ रुख बनाए रखा है। इसलिए, हमारा मानना है कि भविष्य में पूर्वभुगतान का दबाव कम होना चाहिए।

क्षेत्रीय परिदृश्य की बात करें तो मुझे यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। विद्युत क्षेत्र निरंतर सबसे मजबूत विकास गाथाओं में से एक बना हुआ है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता अब 530 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, जिसका प्रमुख कारण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि है। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ही भारत ने लगभग 55 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता जोड़ी, जो किसी भी वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि रही है। भारत में विद्युत मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। अप्रैल 2026 में अधिकतम विद्युत मांग 256 गीगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुँच गई।

साथ ही, विद्युत की बढ़ती मांग के कारण विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसके लिए हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं तथा बैटरी एवं पंप स्टोरेज जैसी भंडारण समाधानयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निविदाबद्ध नवीकरणीय क्षमता का लगभग 40% हिस्सा स्टोरेज घटक सहित था, जबकि अन्य 30% हाइब्रिड परियोजनाओं से संबंधित था। मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पीएफसी ने ऊर्जा भंडारण समाधानों के लिए स्वीकृतियां प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। संचयी रूप से, हमने बैटरी एवं पंप स्टोरेज परियोजनाओं हेतु लगभग ₹16,000 करोड़ की संस्वीकृति प्रदान की है। इससे हमें नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण में प्रारंभिक अग्रणी लाभ प्राप्त हुआ है।

वितरण क्षेत्र की बात करें तो, डिस्कॉम्स के प्रदर्शन में निरंतर सुधार देखा जा रहा है। एटी एंड सी हानियां घटकर 15.04% रह गई हैं, जो आरडीएसएस योजना के अंतर्गत निर्धारित 12-15% लक्ष्य के और निकट है। इसके अतिरिक्त, पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर डिस्कॉम्स ने लगभग ₹2,700 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है।

ऋण वितरण के दृष्टिकोण से वर्तमान में हमें मुख्यतः वितरण कंपनियों की अल्प एवं मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं में अवसर दिखाई दे रहे हैं। पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में भी राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप तापीय एवं परमाणु क्षमता विस्तार के माध्यम से नए अवसर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ऋण वितरण भी हमारी ऋण परिसंपत्ति वृद्धि में क्रमिक योगदान देगा। समग्र रूप से, हमारी भावी वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध विविध अवसरों के संतुलित मिश्रण से संचालित होगी। तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों, हमारे बड़े परिसंपत्ति आधार पर वृद्धिशील ऋण वितरण तथा भुगतान चक्र को ध्यान में रखते हुए, हम वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 10% ऋण वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं।

अब उधारी पक्ष की ओर बढ़ते हैं। 31 मार्च 2026 तक कुल बकाया उधारी ₹4,88,500 करोड़ रही। घरेलू एवं विदेशी बकाया उधारी का अनुपात क्रमशः 80:20 बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, कुल उधारी में से 65% स्थिर ब्याज दर देनदारियां हैं। इससे अस्थिर बाजार परिस्थितियों के दौरान भी हमारी बैलेंस शीट को स्थिरता प्राप्त होती है। 31 मार्च 2026 तक हमारी बकाया विदेशी मुद्रा उधारी लगभग 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य रही। विदेशी उधारी पोर्टफोलियो सुविविधीकृत बना हुआ है, जिसमें 61% अमेरिकी डॉलर आधारित, 23% जापानी येन तथा 16% यूरो आधारित है। यदि देखा जाए, तो हमारे कुल विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो का लगभग 97% हिस्सा विनिमय दर जोखिम के विरुद्ध हेज्ड है। यह हेजिंग विभिन्न डेरिवेटिव संरचनाओं के माध्यम से निर्धारित सुरक्षा सीमाओं के अंतर्गत की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 हाल के वर्षों में वैश्विक मुद्रा बाजारों के लिए सबसे अधिक अस्थिर वर्षों में से एक रहा। व्यापार शुल्क, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में विलंब तथा मध्य-पूर्व युद्ध की स्थिति जैसे कारकों के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर एवं यूरो के मुकाबले रुपए में तीव्र अवमूल्यन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उच्च अंतरण हानियां हुईं। वर्तमान में, निगरानी हेतु सबसे महत्वपूर्ण घटना मध्य-पूर्व संकट है। इस संघर्ष के समाधान की दिशा में कोई भी सकारात्मक प्रगति रुपए को समर्थन प्रदान कर सकती है। मैं आपको आश्चस्त करना चाहती हूँ कि हम स्थिति पर निरंतर निकटता से निगरानी रखे हुए हैं तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपयुक्त जोखिम शमन उपाय कर रहे हैं।

अब समापन करते हुए, मैं पुनः दोहराना चाहूंगी कि हमारी बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है, हमारी लिक्विडिटी स्थिति सुदृढ़ है तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारी वित्तपोषण पहुंच सुविविधीकृत बनी हुई है। हम सतत विकास, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन, परिचालन उत्कृष्टता तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर निरंतर केंद्रित हैं।

आज हमारे साथ जुड़ने तथा निरंतर विश्वास एवं समर्थन प्रदान करने के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

### **संचालक:**

धन्यवाद मैडम। प्रश्नोत्तर सत्र की ओर आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपना हाथ उठाएं। हमारी टीम का एक सदस्य माइक्रोफोन लेकर आपके पास आएगा। कृपया अपना परिचय तथा उस संस्था/ कंपनी का नाम बताएं जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही, कृपया अपने प्रश्नों को एक या दो प्रश्नों तक सीमित रखने का प्रयास करें, ताकि अन्य प्रतिभागियों को भी प्रश्न पूछने का अवसर मिल सके। धन्यवाद।

### **अभिजीत तेबरेवाल:**

मैं अभिजीत तेबरेवाल, मोतीलाल ओसवाल से। मेरी ओर से दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि इस वर्ष घटती ब्याज दरों के वातावरण में पुनर्भुगतान का स्तर अधिक रहा, जिसके कारण ऋण वृद्धि आपके वर्ष की शुरुआत में दिए गए मार्गदर्शन से कम रही। किंतु अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में संवितरण में भी वर्ष-दर-वर्ष गिरावट देखने को मिली। तो पिछले 12 महीनों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण संवितरण कमजोर रहे और पुनर्भुगतान, जैसा कि आपने बताया, अधिक स्तर पर रहे? क्या इसका कारण प्रतिस्पर्धात्मक दबाव है? क्या वे अन्य संस्थाएं, जो पहले विद्युत वित्तपोषण अथवा अवसंरचना वित्तपोषण में सक्रिय नहीं थीं, अब इस प्रकार के ऋण प्रदान करने लगी हैं, जिसके कारण यह दबाव उत्पन्न हुआ है? अथवा मुख्यतः कुछ बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिनके कारण संवितरण भी कमजोर बने हुए हैं?

## श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

संवितरण के संदर्भ में, मेरा मानना है कि हम लगभग पिछले वर्ष के स्तर के बराबर ही हैं। पिछले वर्ष यह ₹1,68,000 करोड़ था, जबकि इस वर्ष यह ₹1,65,000 करोड़ रहा, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मुख्य मुद्दा उन संवितरणों की प्रकृति का है, जो किए गए हैं। पूर्व में डिस्कॉम्स अधिकाधिक आरबीपीएफ ऋण ले रहे थे, जिसकी अवधि अपेक्षाकृत कम होती थी — औसतन लगभग 6 माह की परिपक्वता — और वे उसे लगातार रोलओवर करते रहते थे। परिणामस्वरूप, यदि आप देखें तो संवितरण का स्तर स्वतः ही अधिक दिखाई देता था। इस वर्ष यह स्थिति बदली है। अब वे मध्यम अवधि के ऋण लेने का विकल्प अपना रहे हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि लगभग 3 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 7 वर्ष तक होती है। इसलिए अब उन सुविधाओं का बार-बार रोलओवर देखने को नहीं मिलेगा और आरबीपीएफ ऋण में उल्लेखनीय कमी आई है।

प्रतिस्पर्धा के स्तर पर, हाँ, मैं मानती हूँ कि बाजार में प्रतिस्पर्धा है। बैंक चालू परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमने भी विशेष रूप से राज्य डिस्कॉम्स की कुछ प्रमुख विद्युत उत्पादन परिसंपत्तियों का पुनर्वित्तपोषण किया है। किन्तु मेरा मानना है कि बाजार में अभी भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। विद्युत क्षेत्र की समग्र वित्तपोषण आवश्यकताओं को देखते हुए, यदि मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, तो सभी संस्थानों के विकास हेतु पर्याप्त संभावनाएँ और अवसर मौजूद हैं।

## श्रेया:

नमस्कार, मैं श्रेया, नोमुरा से। मेरा प्रश्न स्वीकृति पाइपलाइन से संबंधित है। यदि आप इस संबंध में कुछ जानकारी साझा कर सकें। यदि आप विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्षेत्रवार कुछ विवरण साझा कर सकें। इसी से जुड़ा एक पूरक प्रश्न यह है कि पिछले 3-4 वर्षों में हमारी संस्वीकृतियों का लगभग आधा हिस्सा अभी तक संवितरित नहीं हुआ है। अर्थात् हमारे पास काफी संख्या में ऐसी फाइलें हैं, जिनका संवितरण अभी बाकी है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में, यदि हम 10% ऋण वृद्धि के मार्गदर्शन को देखें, तो कृपया यह समझाने में सहायता करें कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि उस बड़े हिस्से का संवितरण आने वाले वर्ष में संभवतः नहीं हो पाएगा। मेरा दूसरा प्रश्न विलय से संबंधित है। वर्तमान में दोनों संस्थाओं में लगभग 600-700 कार्मिक समान प्रकार की भूमिकाओं में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी? एक संयुक्त संस्था के रूप में हम इसे किस प्रकार प्रबंधित करने की योजना बना रहे हैं? उदाहरण के लिए, एक ही खाते को देखने के लिए दो व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस संबंध में क्या योजना है? यदि आप इस विषय पर कुछ विवरण साझा करें तो उपयोगी होगा। धन्यवाद।

## श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, चालू वर्ष के संबंध में आपका पहला प्रश्न संस्वीकृतियों को लेकर था। पहले मैं उसी पर बात करती हूँ। चालू वर्ष में कुल संस्वीकृतियां लगभग ₹2.85 लाख करोड़ रही हैं। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में संस्वीकृतियों का संवितरण में परिवर्तित होने में सामान्यतः समय लगता है। हो सकता है कि हम ऋण स्वीकृत कर दें, लेकिन उसके साथ कुछ पूर्व-प्रतिबद्धता शर्तें भी निर्धारित की जाती हैं, जिन्हें दस्तावेजीकरण से पहले पूरा करना आवश्यक होता है। इसके बाद संवितरण के लिए कुछ अन्य अनुमतियां भी आवश्यक होती हैं। जब हम अवसंरचना ऋणों की बात करते हैं, तो उनमें कई पर्यावरणीय शर्तें तथा अन्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अब भूमि अधिग्रहण जैसी आवश्यकताएं भी होती हैं। इन सभी शर्तों के पूरा होने के बाद ही संवितरण प्रारंभ होता है। साथ ही, निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में संवितरण की गति सामान्यतः धीमी रहती है, जो परियोजना की प्रगति और कमीशनिंग के निकट पहुंचने पर तेज हो जाती है। यही कारण है कि आपको यह अंतर दिखाई देता है।

यदि मैं चालू वर्ष की संस्वीकृतियों की बात करूँ, तो ₹2.85 लाख करोड़ में से लगभग ₹80,000 करोड़ का ही संवितरण हुआ है। शेष राशि अगले वर्ष में आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि भविष्य में उसका संवितरण नहीं

होगा। मेरा मानना है कि यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। हाँ, यदि हम पुनर्वित्तपोषण की बात करें, तो उसमें संवितरण तुरंत हो जाता है। लेकिन निर्माणाधीन परियोजनाओं में समय लगता है। अब आपके विलय से संबंधित अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या आप उसे दोहरा सकती हैं? आपने कार्मिकों के बारे में कुछ कहा था।

### श्रेया:

जी, मेरा आशय यह है कि दोनों संस्थाओं में लगभग 600-700 कार्मिक समान प्रकार की भूमिकाओं में कार्य कर रहे हैं। इसलिए, यद्यपि संयुक्त संस्था का ऋण पोर्टफोलियो लगभग ₹11 लाख करोड़ का होगा, फिर भी संरचनात्मक स्तर पर किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे? क्या कार्मिकों को विभिन्न विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा आदि? इस संबंध में यदि कोई विवरण साझा कर सकें तो उपयोगी होगा।

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, अभी तक हमने व्यापक स्तर पर पोर्टफोलियो संरचना पर अंतिम रूप से काम नहीं किया है। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ कि पीएफसी और आरईसी, दोनों में ही मानव संसाधन अपेक्षाकृत सीमित है। यदि आप अन्य संगठनों से तुलना करें, तो पीएफसी में लगभग 520 कार्मिक हैं और लगभग इतनी ही संख्या आरईसी में भी है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 1000 कार्मिक हैं, जबकि पोर्टफोलियो का आकार काफी बड़ा है। हम उन कार्यक्षेत्रों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे, जहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे हमारा विस्तार होगा और ऋण पोर्टफोलियो बड़ा होगा, वैसे-वैसे मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार, मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हम दोनों संस्थाएं पहले से ही अतिरिक्त मानव संसाधन नियुक्त करने की योजना बना रही थीं। हाँ, एक सीमा के बाद यह संभव नहीं है कि मानव संसाधन की संख्या ऋण पोर्टफोलियो के अनुपात में ही बढ़ती रहे, लेकिन कुछ क्षेत्रों को मजबूत करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, अनुपालन के क्षेत्र को और मजबूत करना होगा, क्योंकि नियामकीय अनुपालन आवश्यकताएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हमारी एक गिफ्ट सिटी सहायक कंपनी भी है। समय के साथ एक गिफ्ट सिटी गतिविधियां भी बढ़ेंगी। इसलिए कार्मिकों का समुचित समायोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरईसी के कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यदि हम क्षेत्रीय उपस्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं तथा संस्वीकृतियों एवं संवितरण प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वहां भी अधिक कार्मिकों की तैनाती करनी होगी। इसलिए, मेरा मानना है कि हम मानव संसाधनों का उचित एवं प्रभावी पुनर्संतुलन करने में सक्षम होंगे।

### पिरान इंजीनियर:

मैं पिरान इंजीनियर, सीएलएसए से। मेरा प्रश्न भी विलय से संबंधित है। पहला प्रश्न यह है कि आपने कहा कि विलय के बाद भी कंपनी का सरकारी कंपनी का दर्जा बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन शेयर स्वेप की स्थिति में सरकार की हिस्सेदारी घटकर लगभग 41%-42% रह जाएगी। ऐसे में कंपनी अधिनियम के अनुसार 50% की सीमा को बनाए रखने के संबंध में क्या सोच है? दूसरा प्रश्न संयुक्त इकाई के संदर्भ में है, और यह संभवतः डीएफ सर के लिए है। जब हम एक संयुक्त इकाई के रूप में पूंजी बाजारों अथवा बैंकों से उधारी लेंगे, तो संभव है कि हमारे ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित आंतरिक सीमाएं प्रभावित हों। क्या उधारी के दृष्टिकोण से भी इस विषय पर विचार किया जा रहा है? बस इतना ही, धन्यवाद।

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

आपके दूसरे प्रश्न, अर्थात् संयुक्त इकाई के लिए एक्सपोजर सीमा के संबंध में — वर्ष 2019 में जब पीएफसी ने भारत सरकार की आरईसी में हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था, तब दोनों संस्थाएं अलग-अलग रूप से उधारी ले रही थीं और अधिकांश बैंकों के लिए एक्सपोजर सीमा 20% थी। उसके बाद हम एक समूह के रूप में आए। परिणामस्वरूप, 20% + 20%, अर्थात् 40% के स्थान पर यह सीमा घटकर 25% रह गई। अब यदि दोनों संस्थाओं का विलय होकर एक संयुक्त इकाई बनती है, तो उधारी सीमा 25% से घटकर 20% हो जाएगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि वर्तमान स्थिति में यदि आप बैंकिंग क्षेत्र की कुल पूंजी क्षमता को देखें, तो अभी तक केवल

कुछ ही बैंकों में हमारा एक्सपोजर पूर्ण रूप से उपयोग हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ, जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों की नेटवर्क लगातार बढ़ रही है। वे वित्तीय रूप से और अधिक मजबूत हो रहे हैं। इसलिए, कुछ पुनर्भुगतानों तथा नए एक्सपोजर उपलब्ध होने के साथ, मुझे नहीं लगता कि यह इस संदर्भ में कोई बड़ी चुनौती बनने वाला है।

जहाँ तक सरकारी कंपनी के दर्जे का प्रश्न है, तो सभी लोग साधारण शेयर स्वेप अनुपात और सेबी के नियमों से परिचित हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से नीचे आ जाएगी। किन्तु सरकार ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि विलय के बाद भी संयुक्त इकाई का सरकारी कंपनी के रूप में दर्जा बनाए रखा जाएगा। इसकी प्रक्रिया, स्वरूप एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना शेष है। जैसे ही इस विषय पर अधिक स्पष्टता प्राप्त होगी, हम निश्चित रूप से निवेशकों के साथ जानकारी साझा करेंगे।

### मनीष बेदिया:

नमस्कार। मैं मनीष बेदिया, फैमिली ऑफिस 'सस्वत वृद्धि' से। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने यहां 10% एयूएम वृद्धि का मार्गदर्शन दिया है। लेकिन बिजली की मांग को देखते हुए, क्या यह एक सीमा है या मध्यम अवधि में इससे अधिक वृद्धि संभव है? दूसरा प्रश्न लाभांश नीति से संबंधित है। यदि देखा जाए, तो आपका भुगतान अनुपात 30% है, लेकिन इसका भुगतान स्टैंडअलोन आधार पर करना होता है। अर्थात्, आरईसी से प्राप्त लाभांश का केवल 9% ही आपने वितरित किया, क्योंकि 30% और 30% की गणना स्टैंडअलोन आधार पर होती है। इसलिए, विलय होने के बाद इस दृष्टि से पीएफसी का लाभांश बढ़ सकता है। मेरा मतलब है कि निश्चित रूप से शेयरों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रश्न आपके आरओई प्रोफाइल से संबंधित है। अतीत में सकल एनपीए जैसी कुछ चुनौतियां रही थीं। हालांकि, अधिकांश राशि वापस प्राप्त हो गई। लेकिन अब संवितरण क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके अतिरिक्त, विलय से लागत संबंधी लाभ भी प्राप्त होंगे। साथ ही, मेरा मानना है कि लीवरेज भी बढ़ सकता है — वर्तमान में यह लगभग 7.7x से 7.8x के स्तर पर है। इससे बैलेंस शीट को और अधिक मजबूत करने में भी सहायता मिल सकती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, हमें किस प्रकार का आरओई प्रोफाइल देखना चाहिए? क्या यह लगभग 17%-18% के स्तर पर हो सकता है, या आप इस संबंध में कोई मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मेरा चौथा प्रश्न घरेलू उधारी लागत और विदेशी उधारी लागत के बीच के स्प्रेड से संबंधित है — विशेष रूप से हेजिंग लागत को शामिल करते हुए। वर्तमान परिस्थितियों में काफी बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में, क्या आप अब भी विदेशी उधारी में लगभग 20% एक्सपोजर बनाए रखना चाहेंगे?

धन्यवाद।

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। मार्गदर्शन के संबंध में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। हमारा ऋण पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है और उसी बढ़ते हुए ऋण पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए हमारा अनुमान है कि लगभग 10% की वृद्धि रहेगी। लाभांश के संदर्भ में, वर्तमान में आरईसी से प्राप्त लाभांश सीधे पीएफसी की आय का हिस्सा माना जाता है, जिससे लाभ में वृद्धि होती है, और उस लाभ का 30% लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। इस प्रकार प्रभावी रूप से लगभग 9% निवेशकों तक पहुंचता है। विलय के बाद, दोनों कंपनियों की लाभप्रदता संयुक्त इकाई में शामिल होगी और शेयरधारकों का एक बड़ा समूह होगा। लेकिन आप देखेंगे कि हम डीआईपीएएम की लाभांश नीति का पालन करेंगे। संयुक्त इकाई अथवा समेकित लाभ के आधार पर लाभांश घोषित किया जाएगा। डीआईपीएएम नीति के अनुसार लाभ का 30% लाभांश के रूप में वितरित किया जाना है। हालांकि, यह आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अधीन भी होगा, क्योंकि एनबीएफसी के लिए लाभांश घोषणा संबंधी दिशानिर्देश आरबीआई द्वारा भी जारी किए गए हैं।

एनपीए वसूली के संबंध में, हम पहले ही साझा कर चुके हैं कि उच्चतम स्तर से कुल एनपीए का लगभग 80% समाधान किया जा चुका है। अब बहुत कम संख्या शेष है, जिसमें अधिकांश खाते परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। उनसे हमें अधिक वसूली की अपेक्षा नहीं है। साथ ही, उनके विरुद्ध 100% प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

जहाँ तक एनबीएफसी का प्रश्न है, हम सामान्यतः स्प्रेड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्प्रेड के लिए हमने पहले ही 2.40% से 2.50% का मार्गदर्शन दिया है। मैं सहमत हूँ कि विदेशी मुद्रा संबंधी मामलों में अस्थिरता बनी रहती है — यह इस बात पर निर्भर करता है कि वैश्विक बाजार और रुपया समय के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। पीएफसी की उधारी के संदर्भ में, हम सामान्यतः अपने वित्तपोषण स्रोतों का विविधीकरण करते हैं। वर्तमान में लगभग 60% उधारी बॉण्ड बाजार से, 20% बैंकों से टर्म लोन के रूप में तथा शेष 20% विदेशी मुद्रा उधारी के माध्यम से ली गई है। प्रत्येक उधारी के समय हम यह विचार करते हैं कि घरेलू बाजार की स्थिति क्या है तथा बॉण्ड बाजार की स्थिति कैसी है। हमारे लिए दो प्रमुख पहलू होते हैं — पहला लागत अनुकूलन और दूसरा निधियों का विविधीकरण। किसी भी स्रोत से उधारी लेने का निर्णय करने से पहले हम इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। आगे भी हम इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे। इस प्रकार, स्प्रेड की गणना भारत औसत लागत के आधार पर की जाती है, जिसमें घरेलू तथा विदेशी — दोनों प्रकार की उधारियां शामिल होती हैं।

### चिंतन शाह:

अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं चिंतन शाह, आईसीआईसीआई सिक््योरिटीज़ से। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हेजिंग रिज़र्व की लागत से संबंधित है। यह वित्तीय वर्ष 2025 में लगभग 1 बिलियन रुपए की तुलना में बढ़कर लगभग 34 बिलियन रुपए हो गई है। चूंकि इस वर्ष हेजिंग लागत काफी अधिक रही, और यदि वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपए में 4%-5% का और अवमूल्यन मान लें, तो क्या हम उसके लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं या वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी इसी प्रकार की बड़ी हेजिंग लागत देखने को मिल सकती है? साथ ही, यदि आप यह भी बता सकें कि रुपए में ₹1 या ₹2 के उतार-चढ़ाव का आपके लाभ-हानि खाते पर लगभग कितना प्रभाव पड़ सकता है। यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि, जैसा आपने बताया, लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की संस्वीकृतियों के मुकाबले लगभग ₹80,000 करोड़ का ही संवितरण हुआ है, जो लगभग एक-तिहाई है। तो शेष संस्वीकृतियों के संवितरण में लगभग कितना समय लग सकता है? इसके अतिरिक्त, क्या यह भी संभव है कि जिन परियोजनाओं को हमने पहले ही स्वीकृत कर ऋण प्रदान किया है, उनके कमीशन होने के बाद उनका पुनर्वित्तपोषण हो जाए? क्या यह जोखिम भी बना रहता है? यही मेरे दो प्रश्न थे। धन्यवाद।

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

आपके अंतिम प्रश्न से शुरुआत करते हुए, प्रतिस्पर्धा का जोखिम हमेशा बना रहता है। यह एक बाजार व्यवस्था है, इसलिए किसी भी परिसंपत्ति का पुनर्वित्तपोषण करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि बैंक नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो के पुनर्वित्तपोषण में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन परियोजनाओं की निर्माण अवधि कम होती है, परियोजनाएं जल्दी कमीशन हो जाती हैं, नकदी प्रवाह अपेक्षाकृत सुनिश्चित रहता है, और विशेष रूप से ये अपेक्षाकृत छोटे टिकट आकार के ऋण होते हैं। इसलिए, आप अधिकांश पुनर्वित्तपोषण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में होता हुआ देखेंगे। यदि आप बाजार में हैं, तो प्रतिस्पर्धा का सामना करना ही होगा। इसलिए यह जोखिम हमेशा बना रहेगा। अब हेजिंग लागत की बात करें, तो हेजिंग के कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। हमने अपने पोर्टफोलियो का लगभग 97% हिस्सा हेज किया हुआ है। लेकिन चूंकि जोखिम को एक निर्धारित सीमा के भीतर कवर किया गया है, इसलिए जब विनिमय दर में असामान्य उतार-चढ़ाव होता है, तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि, वास्तविक हानि इस बात पर निर्भर करती है कि देनदारी की परिपक्वता तिथि क्या है। यदि मैं कहूँ, तो अधिकांश मामलों में जो हानि दर्ज की जा रही है, वह एक काल्पनिक/सैद्धांतिक हानि होती है, सिवाय उन मामलों के जहां देनदारियों की परिपक्वता वित्तीय वर्ष के भीतर आ रही हो। इसलिए वास्तविक लाभ या हानि का पता उसी समय चलेगा। फिर भी, हम स्थिति की नियमित निगरानी कर रहे हैं और जहां आवश्यकता होती है, वहां भविष्य की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए कवरेज रेंज का विस्तार भी किया जा रहा है। अतः इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मेरा मानना है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।

### नमित अरोड़ा:

आपकी विस्तृत टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। मैं नमित अरोड़ा, इनग्रोथ कैपिटल से। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके लक्षित बाजार से संबंधित है। क्या आप अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने की योजना बना रहे हैं? उदाहरण के लिए, आने वाले 5-10 वर्षों में परमाणु ऊर्जा को काफी संभावनाशील माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण सौर मूल्य श्रृंखला में भी कंपनियों द्वारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आदि के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं यह समझना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों में आप अपने लक्षित बाजार को किस प्रकार देखते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न पिछले 3 महीनों की भू-राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव से संबंधित है। संभव है कि इसका प्रभाव आने वाली कई तिमाहियों में धीरे-धीरे दिखाई दे। तो आपके ऋण पोर्टफोलियो के संदर्भ में, क्या आपने इस बात का कोई विश्लेषण किया है कि जिन कंपनियों को आप ऋण प्रदान करते हैं, उन पर भू-राजनीतिक परिस्थितियों के विलंबित प्रभाव के कारण भविष्य में किसी प्रकार का दबाव उत्पन्न हो सकता है? धन्यवाद।

### **श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:**

जहाँ तक लक्षित बाजार का प्रश्न है, हमारा अधिदेश हमें विद्युत क्षेत्र, उससे संबंधित बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज, एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा परिवर्तन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वित्तपोषण करने की अनुमति देता है। जब हम परमाणु ऊर्जा और सौर मूल्य श्रृंखला की बात करते हैं, तो परमाणु परियोजनाओं के लिए अभी तक कोई वित्तपोषण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए अभी काफी प्रारंभिक तैयारी का कार्य चल रहा है। जहाँ तक सौर मूल्य श्रृंखला का संबंध है, हम पहले से ही सौर एवं पवन ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण के वित्तपोषण में सक्रिय हैं। इसमें हमारा ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण पर है, ताकि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला भारत के भीतर उपलब्ध हो सके। हम बैटरी, बैटरी उपकरण, बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं तथा पंप स्टोरेज परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, हम बायो-एथेनॉल क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल एवं डीज़ल पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष ध्यान दिए जाने की घोषणा की गई है। हम पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण में सक्रिय हैं और इस घोषणा के बाद मेरा मानना है कि बिजली की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यदि वर्तमान स्थिति देखें, तो हम कोयला, सौर एवं पवन ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हैं। उपकरण निर्माण की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। हमारे पास स्टोरेज क्षमता है, हाइड्रो परियोजनाएं हैं, और इनमें उपयोग होने वाले अधिकांश उपकरण स्वदेशी हैं। इसलिए, विद्युत क्षेत्र भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जहाँ संभव हो अन्य ऊर्जा स्रोतों का विकल्प प्रदान करने में सक्षम है। इसी कारण हम इन सभी क्षेत्रों के लिए खुले हैं। जहाँ तक अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों का प्रश्न है, वहां भी हम वित्तपोषण कर रहे हैं, हालांकि हम छोटे-छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण में बहुत बड़े स्तर पर या जल्दबाजी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। भू-राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव के संबंध में, मैं फिर वही बात कहूँगी कि एक दृष्टि से यह विद्युत क्षेत्र के लिए सकारात्मक भी हो सकता है। क्योंकि भारत को समग्र रूप से ऐसी संकटपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकालने में विद्युत क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाँ, उधारी के संदर्भ में विनिमय दरों की अस्थिरता के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव अवश्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कुछ प्रोमोटर्स ने अन्य देशों से उपकरणों या आपूर्ति की व्यवस्था की हुई है, तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। साथ ही, हम मुख्यतः भारत के भीतर की परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई बड़ी चुनौती दिखाई नहीं देती।

### **नमित अरोड़ा:**

आपके विस्तृत विचार साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को शुभकामनाएँ। धन्यवाद।

### **मॉडरेटर:**

बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, कृपया आगे बढ़ें।

### **अनन्या शुक्ला:**

नमस्कार, मैं अनन्या शुक्ला, केस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स से। मेरा प्रश्न यह है कि मध्यम अवधि में आप ऋण परिसंपत्ति मिश्रण में किस प्रकार के परिवर्तन की संभावना देख रहे हैं? यदि संभव हो, तो कृपया इससे संबंधित आंकड़े भी साझा करें। धन्यवाद।

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

मध्यम अवधि के संदर्भ में यदि देखें, तो हमारी स्थापना के समय से ही हम वित्तपोषण कर रहे हैं। उस समय हमारा मुख्य फोकस पारंपरिक विद्युत उत्पादन क्षेत्र पर था। और पारंपरिक उत्पादन में भी मुख्यतः तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित था। जहाँ तक हाइड्रो परियोजनाओं का प्रश्न है, भारत में अभी भी उनकी क्षमता अपेक्षाकृत सीमित है। इसलिए हम यह देख रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो मिश्रण जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं से हटकर गैर-जीवाश्म ईंधन श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद अगला प्रमुख क्षेत्र वितरण क्षेत्र है। एक समय ऐसा था जब पीएफसी की कुल ऋण वितरण का लगभग 75% हिस्सा पारंपरिक विद्युत उत्पादन क्षेत्र की ओर था। अब हम उस स्तर से घटकर लगभग 50% पर आ गए हैं। इसमें से लगभग 16% नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में है, जबकि शेष हिस्सा पारंपरिक उत्पादन क्षेत्र का है। इसके बाद वितरण क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार, पोर्टफोलियो मिश्रण में स्पष्ट बदलाव आया है। आगे भी यदि हम भविष्य में स्थापित होने वाली क्षमता को देखें, तो हम सहज रूप से कह सकते हैं कि यह लगभग 70:30 के अनुपात में हो सकती है — अर्थात् पारंपरिक अथवा तापीय परियोजनाओं की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का मिश्रण और उसी के अनुरूप पीएफसी का फोकस भी रहेगा।

### रमेश भोजवानी:

जी मैडम। मैं रमेश भोजवानी, मेहता एंड वकील से। आपने आज एक अत्यंत व्यापक प्रस्तुति दी है, जिसमें विद्युत उत्पादन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि सभी पहलुओं को शामिल किया गया। आपने उल्लेख किया कि ट्रांसमिशन एवं वितरण हानियाँ अब घटकर 15.04% तक सीमित हो गई हैं। मेरा मानना है कि यह मुख्यतः स्मार्ट मीटरों के परिनिर्माण के कारण संभव हुआ है। आगे चलकर, क्या हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वितरण एवं ट्रांसमिशन हानियाँ इस 15% स्तर से घटकर लगभग आधी रह जाएँगी?

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, मैं सहमत हूँ कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत दो प्रमुख भाग थे। पहला, संवितरण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और दूसरा, प्रीपेड मीटरों की स्थापना। प्रीपेड मीटर अभी केवल कुछ राज्यों में ही लगाए गए हैं। अन्य राज्यों ने आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन उनकी स्थापना अभी शेष है। डिस्कॉम की हानियाँ मुख्य रूप से संग्रहण एवं बिलिंग दक्षता के अतिरिक्त, लंबित सब्सिडी बकायों तथा उन पुराने बकायों के कारण थीं, जहाँ सरकारी विभाग विद्युत का उपयोग कर रहे थे। ये बकाए काफी बड़े थे। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसियों एवं योजना के मानदंडों में यह शर्त रखी गई है कि सभी डिस्कॉम को सब्सिडी अग्रिम रूप से प्राप्त होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह सकती कि सभी को अग्रिम भुगतान मिल रहा है, लेकिन सामान्यतः इसमें एक तिमाही से अधिक की देरी नहीं हो रही है। इससे उनके परिचालन व्यय को कम करने में सहायता मिली है। जहाँ तक सरकारी विभागों के बकायों का प्रश्न है, अधिकांश सरकारी विभागों को प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वसूली से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। यह इसका एक पक्ष है। इसके अतिरिक्त, सौरकरण को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। 'कुसुम योजना' के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में पंप सेटों का सौरकरण किया जा रहा है। यद्यपि इसके लिए प्रारंभिक पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है, तथापि दीर्घकाल में यह राज्य सरकारों पर सब्सिडी के बोझ को कम करने में सहायक होगा। अतः ये सभी कारण तथा आरडीएसएस योजना के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए सुधार, सामूहिक रूप से एटीएंडसी प्रदर्शन में सुधार के प्रमुख कारण हैं।

### मॉडरेटर:

सामने बैठे सज्जन।

### अशोक शाह:

मेरे प्रश्न लेने के लिए धन्यवाद। मैं अशोक शाह, एक्लाव्वा इन्वेस्को से। मैडम, पिछले वर्ष आरबीआई ने ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की थी। उसके कारण मेरा मानना है कि हमारे लाभ में वृद्धि हुई। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों, युद्ध आदि को देखते हुए, यदि अगले वर्ष आरबीआई पुनः ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट की वृद्धि कर देता है, और हमारे सभी ऋण पहले ही कम ब्याज दरों पर पुनर्गठित किए जा चुके होंगे, तो उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा और कंपनी उस परिस्थिति का सामना किस प्रकार करेगी?

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

पीएफसी के लिए लगभग 65% ऋण स्थिर ब्याज दर पर है और वह भी दीर्घावधि के लिए। यदि हम कहें कि लगभग 60% उधारी बॉण्ड्स के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसलिए, बाजार में ब्याज दरों में कमी होने पर भी हमें उसका तत्काल लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि बॉण्ड आधारित ऋण में ब्याज दरों को पुनर्निर्धारित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। औसतन हमारी देनदारियों की अवधि लगभग 5 से 6 वर्ष है। इसलिए वर्तमान में जो देनदारियां उच्च ब्याज दरों पर हैं, उन्हें समाप्त होने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे। पीएफसी के लिए, चाहे आप ब्याज दरों में वृद्धि की स्थिति की बात करें या कमी की, उसका प्रभाव बैंकों की तरह अचानक नहीं होता, बल्कि यह हमेशा क्रमिक रूप से होता है। इसी कारण घटती ब्याज दरों के परिदृश्य में हमने कहा था कि हमें बड़ी मात्रा में पूर्व-भुगतान का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारी ब्याज देनदारियां बाजार दरों के अनुरूप इतनी लचीली नहीं हैं। यही कारण था कि घटती ब्याज दरों की स्थिति में हमें बड़े स्तर पर पूर्व-भुगतानों का सामना करना पड़ा। हालांकि, 65% उधारी का स्थिर ब्याज दर पर होना हमें स्थिरता भी प्रदान करता है। इसका लाभ यह है कि जब ब्याज दरों में वृद्धि का परिदृश्य बनता है, तब भी ब्याज दरों में परिवर्तन क्रमिक रूप से ही प्रभावी होता है।

### अशोक शाह:

तो ऐसी स्थिति में, यदि अगले वर्ष आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग हैं, तो आप उसका सामना किस प्रकार करेंगे?

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

जब आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करेगा, तो उसका प्रभाव धीरे-धीरे हमारी बैलेंस शीट पर आएगा, और वह भी उसी सीमा तक, जिस सीमा तक पुनर्भुगतान होते रहेंगे। हमारी ब्याज दरें आरबीआई की दरों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करतीं। केवल नई उधारी — अर्थात् जो मार्जिनल ऋण हम वर्ष-दर-वर्ष लेते हैं — वही वर्तमान बाजार दरों पर आधारित होती है, चाहे ब्याज दरें बढ़ रही हों या घट रही हों। हालांकि, हमारी लगभग दो-तिहाई ऋण पुरानी ब्याज दरों पर ही बनी रहेगी। इसलिए, हमारी जो भी भारित औसत ऋण लागत होती है, उसी के आधार पर हमारी ऋण दरें निर्धारित की जाती हैं। मेरा मानना है कि लगभग सभी वित्तीय संस्थानों में यही प्रवृत्ति होती है कि उनकी ऋण दरें उनकी कुल उधारी लागत के आधार पर तय की जाती हैं, और हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था है।

### मॉडरेटर:

जी, पीछे बैठी हुई मैडम।

## आशा:

मैडम, मैं आशा, शुभकाम वेंचर्स से। मेरा प्रश्न विशेष रूप से पुनर्भुगतान से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल पुनर्भुगतान कितना रहा, और यदि आप इसे नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रों के अनुसार विभाजित करके बताएं तो यह उपयोगी होगा। मेरा दूसरा प्रश्न पिछले प्रश्न से संबंधित है। जैसा कि आपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.4 से 2.5 के स्प्रेड का मार्गदर्शन दिया है, जबकि पहले सामान्यतः 2.5 का मार्गदर्शन दिया जाता था। मैं यह समझना चाहती हूँ कि, जैसा आपने बताया कि हमारी देनदारियों की पुनर्भुगतान अवधि लगभग 5 से 6 वर्ष है, तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2.4% स्प्रेड का अनुमान क्या केवल निधियों की लागत के कारण है? क्योंकि वर्तमान में मार्जिनल निधि लागत बढ़ रही है। साथ ही, हमें ऋण दरों पर भी दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य एनबीएफसी के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बोली बढ़ रही है।

धन्यवाद।

## श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा का दबाव तथा पूर्व-भुगतान का दबाव मौजूद है। इसी कारण हम यह देख रहे हैं कि हमारा नया मार्गदर्शित स्प्रेड लगभग 2.4 से 2.5 के बीच रहेगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी कमी आई है। इस वर्ष विदेशी मुद्रा में भारी अस्थिरता के बावजूद हमारा स्प्रेड 2.46 रहा है। यदि वह अस्थिरता नहीं होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी। जहाँ तक पुनर्भुगतान का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष के दौरान हमें अपने ऋणकर्ताओं से लगभग ₹1,28,000 करोड़ का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ। हालांकि, इस समय मेरे पास नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों के अनुसार उसका पृथक विवरण उपलब्ध नहीं है।

## मॉडरेटर:

जी, कृपया आगे बढ़ें।

## श्रीपाल देसाई:

नमस्कार मैडम। मैं श्रीपाल देसाई, इक्विटी सिक्योरिटीज़ से। मेरा पहला प्रश्न क्रेडिट लागत अथवा प्रावधान से संबंधित है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि एनपीए खातों के समाधान के कारण प्रावधान की आवश्यकता बहुत कम रही है। लेकिन अब, जब बड़ी संख्या में एनपीए खाते अधिकांशतः सुलझ चुके हैं, तो आगे चलकर आप क्रेडिट लागत को किस प्रकार बढ़ते या बदलते हुए देखती हैं? विशेष रूप से मानक खातों पर प्रावधान के संदर्भ में।

## श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

मानक खातों के लिए प्रावधान के संदर्भ में, हमारे पास एक ईसीएल नीति है, जिसके अंतर्गत औसतन 0.4% का प्रावधान रखा जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए यह 1% तथा 0.4% का न्यूनतम प्रावधान है, जो ईसीएल के अधीन होता है। हम अपेक्षित ऋण हानि की भी गणना करते हैं। इसलिए, कुल मिलाकर यह व्यवस्था व्यापक रूप से आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। मैं सहमत हूँ कि हमने अधिकांश एनपीए खातों का समाधान कर उन्हें न्यूनतम स्तर तक ला दिया है। इसलिए आगे चलकर हमें वह लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि आप कह रहे थे कि इस वर्ष गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान से लगभग ₹800 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन निश्चित रूप से, जिस स्प्रेड पर हम कार्य कर रहे हैं तथा जिस प्रकार हम अपनी ऋण लागत का प्रबंधन कर रहे हैं, उससे हमें सहायता मिलेगी।

## श्रीपाल देसाई:

समझ गया। मैडम, मेरा दूसरा प्रश्न संवितरण से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संवितरण के संदर्भ में हमारा लक्ष्य क्या है?

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, संवितरण के आंकड़े के बारे में स्पष्ट रूप से कहना काफी कठिन है, क्योंकि यह पूरी तरह उस ऋण की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसे संवितरित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वितरण कंपनी आरबीपीएफ के अंतर्गत संवितरण के लिए हमारे पास आती है, तो वह ऋण लेने के बाद 6 महीने पश्चात उसका पुनर्नवीनीकरण कर सकती है। ऐसी स्थिति में वही संवितरण दो बार गिना जाएगा।

### श्रीपाल देसाई:

समझ गया। लेकिन मैडम, यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो इस वर्ष हमने लगभग ₹1,60,000 करोड़ की उधारी सीमा की स्वीकृति ली है। तो क्या पूरे वर्ष के लिए लगभग इसी स्तर के संवितरण का अनुमान लगाना उचित होगा?

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में निर्धारित पुनर्भुगतान अपेक्षाकृत कम हैं। इसी कारण आप देख रहे हैं कि हमने लगभग ₹1,60,000 करोड़ की ऋण सीमा ली है, यह मानते हुए कि लगभग 10% की वृद्धि रहेगी।

### सागर:

शुभ संध्या। मैं सागर, क्लेवरवेट कैपिटल से। मेरे दो प्रश्न हैं।

पहला, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुल स्वीकृत लेकिन अभी तक असंवितरित ऋण पोर्टफोलियो कितना है? केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 का नहीं, बल्कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से जो भी शेष है, उसे मिलाकर कुल राशि कितनी है? और उसमें से अगले 3-4 वर्षों में, परियोजनाओं की निर्माण अवधि को देखते हुए, लगभग कितना हिस्सा संवितरित होने की संभावना है? दूसरा प्रश्न अगले अप्रैल से लागू होने वाले नए ईसीएल मानकों से संबंधित है। इसका हमारी बुकों तथा लेखांकन पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

### श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

आपके दूसरे प्रश्न, अर्थात् ईसीएल के संबंध में — यदि हम आरबीआई के मानकों की बात करें, तो चूँकि हम इंडएएस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वे लाभप्रदता के उद्देश्य से सीधे तौर पर हम पर लागू नहीं होते। लेकिन आरबीआई यह कहता है कि प्रावधान बनाए रखने के लिए आईआरएसी मानकों का पालन किया जाना आवश्यक है। हालांकि, यदि हमारी वर्तमान नीतियों को देखें, तो व्यापक रूप से वे पहले से ही आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। हम परियोजना-वार अलग-अलग ईसीएल की गणना करते रहे हैं और हमारा ईसीएल प्रावधान उसी नीति के अनुसार संचालित होगा। जहाँ तक अतिरिक्त प्रावधान अथवा लाभ से विनियोजन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, हम उसे बनाए रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा अंतर आएगा। और जहाँ तक स्वीकृत लेकिन असंवितरित राशि का प्रश्न है, उसके बारे में सटीक आंकड़ा देना हमारे लिए कठिन है। लेकिन व्यापक रूप से कहूँ, तो यह लगभग ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ के बीच हो सकती है। हालांकि, मैं यह एक अनुमान के रूप में कह रही हूँ।

### मॉडरेटर:

आज के सत्र को समाप्त करने से पहले हम एक अंतिम प्रश्न लेंगे।

## विश्लेषक:

मैडम, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वर्चुअल पीपीए का उल्लेख किया गया था। साथ ही, वर्ष के मध्य में सरकार द्वारा एक विद्युत मसौदा विधेयक भी लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि पीपीए से संबंधित समाधान खोजने के लिए सीईआरसी को नियुक्त किया जाएगा। अब जबकि हम केवल दीर्घकालिक परियोजनाओं का ही वित्तपोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्पकालिक परियोजनाएँ भी आ रही हैं, तो क्या आप हमें यह समझाने में सहायता कर सकती हैं कि विनियामक एवं सरकारी स्तर पर पीपीए को अधिक लचीला बनाने के संबंध में क्या प्रगति हो रही है? क्योंकि इससे आपके संस्वीकृत ऋणों के शीघ्र संवितरण में भी सहायता मिलेगी।

## श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

देखिए, मेरा मानना है कि पीपीए के मोर्चे पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्चुअल पीपीए मुख्यतः सौर परियोजनाओं के लिए होता है, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र आदि की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि कुछ बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस प्रकार के वर्चुअल पीपीए में प्रवेश किया है। लेकिन व्यापक स्तर पर अभी भी वही व्यवस्था प्रचलित है जो पहले थी — अर्थात् पीपीए संबंधित राज्यों द्वारा ही हस्ताक्षरित किए जा रहे हैं। हालांकि, राज्य सरकारें वर्तमान में पुनर्संरक्षण की प्रक्रिया में हैं। पहले मुख्यतः केवल सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान था। अब हम हाइब्रिड परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। अब अनिवार्य स्टोरेज की भी बात हो रही है। इन सभी नियामकीय परिवर्तनों के कारण राज्य सरकारें भी अपनी आवश्यकताओं को उसी अनुरूप समायोजित करने का प्रयास कर रही हैं और इसी वजह से कुछ समय लग रहा है। लेकिन मेरा नहीं मानना कि नीति के दृष्टिकोण से पीपीए के संबंध में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है।

## विश्लेषक:

और हम अभी भी केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए संवितरण कर रहे हैं, जिनके पास पीपीए है, सही है न? उन परियोजनाओं के लिए नहीं, जो केवल ग्रिड/नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं लेकिन जिनके पास पीपीए नहीं है। हमारा नियम अभी भी वही है न — कि संवितरण के लिए पीपीए आवश्यक है?

## श्रीमती परमिंदर चोपड़ा:

हमने कुछ मर्चेन्ट पावर परियोजनाओं में भी एक्सपोजर लिया हुआ है, जो मुख्यतः प्रोमोटर की क्षमता और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। सभी मामलों में नहीं, लेकिन हाँ, मामले-दर-मामले के आधार पर हम इस पर विचार करते हैं।

## मॉडरेटर:

बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवियों और सज्जनों, आपकी सक्रिय सहभागिता के लिए और धन्यवाद मैडम।

साथ ही, पीएफसी प्रबंधन टीम को भी हार्दिक धन्यवाद।

देवियों और सज्जनों, मैं इस अवसर पर आप सभी का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज शाम हमारे साथ सहभागिता की।

एक बार फिर धन्यवाद, और कृपया हमारे साथ चाय हेतु अवश्य शामिल हों।